तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।

03-05-2018 राज्य सरकार द्वारा व्यापक जनहित कार्य, 2018 अभियान में आयोजित राजस्व लोक अदालत) कोई कब्जा-अदल बदल या कब्जे-खातेदारी पर पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक उपीलान्ट एवं रेस्पो० सं० 1 सरपंच ग्रा०पं० खोखरा स्वयं उपस्थित वकील रेस्पो० अनुपस्थित रेस्पो० सरपंच ग्रा०पं० खोखरा द्वारा 5 अप्रार्थना अभिभाषक द्वारा पत्र का जवाब पेश करना नहीं चाहते है, जवाब बन्द किया जाता है बहस अपील अभिभाषक उपीलान्ट एवं रेस्पो० को सुना गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने राजस्व अपील अन्तर्गत आदेश-पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 तथा धारा 5 अप्रार्थना अन्तर्गत आदेश-पत्र उक्त आवेदन की पेश की कि अपीलान्ट ने राजस्व मौजा-खोखरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि ख०नं० 583 रकबा 0.4000 हे० की 3 एक अभिलिखित खातेदार पूनाराम, शारदा देवी, परिमादेवी का उनके अभिलिखित खातेदार विक्रय विलेख दिनांक 11-06-2014 व उनसे से जरिए पंजी बद्ध विक्रय विलेख की गई क्रय की तथा उन्हीं दिन विक्रेताओं ने विक्रय की गई कृषि भूमि का भौतिक कब्जा वास्तविक रूप से अपीलान्ट को सौंप दिया तब से अपीलान्ट उक्त भूमि का उपयोग/उपभोग बेच खातेदार के रूप में निरन्तर कर रहे है। खातेदार उपभोग कर रहे हैं। उक्त भूमि ख०नं० 584 सरहद मौजा-खोखरा में स्थित कृषि भूमि ख०नं० 585 रकबा 0.3800 हे०, रकबा 0.4800 हे० व ख०नं० 585 रकबा 0.8600 हे० के 1/2 हिस्से की भूमि कुल किता 2 रकबा 0.8600 हे० के 1/2 हिस्से की भूमि खातेदार अजोपी देवी का पुत्र हिस्सा दि० 23-05-2014 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया, का उपयोग/उपभोग अपीलान्ट कर रहा है। उक्त भूमियों के दि० 11-06-2014 का नाम सं० 1266 पटवारी का नाम सं० 1265 व दि० 23-05-14 का नाम सं० 1266 पटवारी द्वारा 03-10-2014 को नोट मार्क जिन्हें RI द्वारा हल्का द्वारा दिनांक 07-10-2014 को जाँच में सही पाये जाने के पश्चात ग्राम सभा साधारण पंचायत बैठक में प्रस्तुत करने पर तत्कालीन सरपंच, ग्रा०पं० खोखरा ने खातेदार के ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होने से आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का स्थगित विरुद्ध आदेश दिया। ग्रा०पं० की साधारण सभा बैठक दिनांक 20-11-2014 को नाम सं० 1266 स्वीकार कर लिया तथा नाम सं० 1265 को यह उल्लेख करते हुए कि उक्त तिथि के प्रस्ताव संख्या के अनुसार आपत्ति होने से खारिज कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं की। अतः तथ्यों की जानकारी दि० 02-02-2018 को प्रकाश में आने से दि० 20-02-2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील अपीलान्ट ने पेश की है। राजस्व अपील के संलग्न आदेश-पत्र धारा 5 अप्रार्थना अभिलिखित प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश-पत्र धारा 5 अप्रार्थना अभिलिखित प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश-पत्र का नाम सं० 1265 को काल्पनिक रूप से लगाना-

सरपंच
(भंवर कंवर)
ग्राम पंचायत, खोखरा
पं.स. सोजत (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार किये जाने का प्रकृत आदेश दिनांक 20-11-2014 को अपास्त किये जाने तथा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किये जाने की इल्तजा की है। इस पर राजस्व अपील के रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को नोटिस सम्मन तलब किया गया। रेस्पो० सं० 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र वकील ने दि० 23-03-2018 का वकालतनामा पेश कर धारा 5 अपील आदि० प्रा० पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहना का समय दिया गया।

पत्रावली आज दिनांक 03-05-2018 को पत्रावली पेश राजस्व मो० का अदालती कोई कर्मचारी अदालत में व कन्ट्रोल रूम पर पेश हुई। उपस्थित वकील अपील एवं रेस्पोन्डेन्ट को सुना गया। रेस्पो० अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट को सुना गया। रेस्पो० धारा 5 अपील आदि० का जवाब पेश नहीं करना चाहने पर जवाब बन्द किया गया। अपीलकर्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि धारा 5 अपील आदि० अपील-पत्र में वर्णित कारण युक्तियुक्त होने से स्वीकार किये जाने तथा विहित बाल का विस्तारण (एक्सटेंशन) किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने तथा नामान्तरण स्वीकार किये जाने की इल्तजा की है। रेस्पो० सरपंच ग्राम पंचायत खरखरा ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। पत्रावली व्याख्यानुसार अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील अपील प्रपत्र धारा 5 अपील आदि० एवं प्रस्तावित आज्ञा के सम्बन्ध में बहस अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पो० द्वारा व्यक्त तथ्यों का गौर से मनन किया गया। वास्तव में ग्राम सभा की साधारण बैठक दिनांक 20-11-2014 के प्रस्ताव सं० 2 में उल्लेखित आ० सं० 1265 के सम्बन्ध में आपत्ति की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवाया जाना तथा उक्त आ० सं० 1265 को अस्वीकृत करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया जाना तथा बिना कोई सूचना अधिनियम पारित करना विधि विरुद्ध तथा अवैध है। फलस्वरूप धारा 5 अपील आदि० में वर्णित कारण देरी नियमानुकूल संगत होने से स्वीकार किया जाता है, अतः अपील प्रस्तुत करने हेतु विहित बाल को एक्सटेंशन किया जाता है। फलस्वरूप नामान्तरण संख्या 1265 पर अवैध व गलत रूप से प्रकृत आदेश को अपास्त किया जाना, अपील अपीलान्ट को स्वीकार किया जाना तथा तदानुसार, मामला को उस जिले के साथ प्रतिस्थापित किया जाना कि वह पुनः बेबाक पंजी वृक्ष प्रस्तावित दिनांक 11-06-2014 की अपने सिर से जाँच कर विधि सम्मत नामान्तरण पारित करें, उचित सम्मत है।

— आदेश —

अतः अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
मीनात (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खिवाट पोगरहीन से खिवाट की जाती है। कार्यालयीन ना सं. 1265 अस्वीकृत किये जाने या पूर्व आदेश (अपील होने से खारिज किया गया) विधि विरुद्ध एवं अवैध पाये जाने से तत्काल प्रभाव से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ पुनः प्रतिवेदित कर अवगत करवाया जाता है कि पुनः पंजी बंद प्रस्तावित आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिपूर्वक कार्यवाही की जाये फिर से जांच कर विधिपूर्वक कार्यवाही पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर प्रकरण संभवतः अंतिम पत्रावली अभिलेख प्रति भेजकर प्रकरण से अलग होने बाद तत्कालीन शुमार होकर अलग से अभिलेख जमा हो जाकर आवश्यक कार्यवाही करवाकर भण्डार जमा हो।	नबंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Sd/- Sojat.
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)